प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 304/2022 दिनांक – 3/8/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा – 7 (सी), 13(1) ए, 13(2)
   (ब) अधिनियम – .....भादस..... धारायें – 409, 420,467,468, 193, 120बी
   (स) अधिनियम – ..... धारायें – .....
   (द) अन्य अधिनियम – ..... धारायें – .....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – .....50..... समय – 1:00 P.M.
   ब. अपराध के घटने का दिन – वर्ष 2019
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक –
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 120 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– कार्यालय पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – श्री मांगीलाल (ब) पिता/पति का नाम – श्री धनाराम बेनिवाल
      (स) जन्म तिथि/वर्ष – (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
      (य) व्यवसाय – (र) पता – ग्राम नौसर पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   01. श्री भागीरथराम बेनिवाल पुत्र श्री बिरमाराम विश्नोई निवासी ग्राम पंचायत नौसर तहसील लोहावट तत्कालीन प्रधान, पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर।
   02. श्री प्रहलादराम पुत्र श्री पूनमाराम निवासी बेरीवाला तला रावतसर जिला बाड़मेर तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति . किशनगंज जिला बांरा।
   03. श्री मदनलाल कुलदीप पुत्र श्री शंकरलाल कुलदीप निवासी नानण रोड़ अम्बेडकर कोलोनी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर तत्कालीन लेखा सहायक पंचायत समिति लोहावट हाल पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर हाल सहाय प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर।
   04. लाभार्थी फर्म
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नहीं
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– 90,36,972/– रूपये
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र श्री धनाराम बेनिवाल निवासी नौसर पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर द्वारा पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर के तत्कालीन प्रधान, विकास अधिकारी एवं लेखाकर्मी द्वारा पंचायत समिति लोहावट में सोलर लाईटस खरीदने में मिलीभगत कर सरकारी राशि का गबन करने के तथ्यों का परिवाद संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रस्तुत किया जाने पर संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर से उक्त शिकायत पर जांच करवाई जाने पर शिकायत में वर्णित तथ्य सही पाये गये है।

पंचायत समिति लोहावट में क्रय की गई सोलर लाईट तथा बैटरी/इन्वर्टर की जांच करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 7181 दिनांक 14.02.2020 के तहत गठित कमेटी द्वारा जांच की गई जो निम्नानुसार हैः–

उक्त प्रकरण में जांच कमेटी द्वारा दिनांक 20.02.2020 को पंचायत समिति लोहावट में क्रय की गई सोलर लाईट व बैटरी क्रय संबधी पत्रावलियों की जांच की गई। पत्रावलियों में विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट के पत्र क्रमांक 3976 दिनांक 01.03.2019 के द्वारा पंचायत समिति लोहावट की 29 ग्राम पंचायतों में एक करोड चार लाख पच्चपन हजार रूपये से 435 सोलर लाईट क्रय करने हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई। जबकि उक्त स्वीकृति हेतु साधारण सभा में अनुमोदन किये जाने के मिनिट्स विकास अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये। इन सोलर लाईटों का क्रय आरटीपीपी रूल्स 2013 में निर्धारित प्रकिया, नियमों की पूर्ण पालना किये बिना राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से 22,890/– + 5 प्रतिशत जीएसटी प्रति लाईट की दर से क्रय किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पंत्राक 3148 दि. 27.09.2018 द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर लाईट क्रय करने की अनुमति सशर्त जारी की गई। जिसके तहत 31.03.2019 तक ही सोलर लाईट क्रय की अनुमति दी गई थी, जबकि पंचायत समिति लोहावट में सभी लाईटे दि. 28.06.2019 के पश्चात स्थापित की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पंत्राक 3148 दि. 27.09.2018 अनुसार आंशिक रूप से सभी शर्तो की पालना की गई है, सोलर लाईट के **Specification as per quotation led acid battery** ली गई थी, जबकि मौके पर लगी लाईटस में लिथियम बैटरी का उपयोग किया गया है।

जांच कमेटी द्वारा निरीक्षण दौरान पदस्थापित विकास अधिकारी द्वारा मौके पर लगी हुई सोलर लाईट्स का विवरण अपने स्तर से उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार कुल सोलर लाईट्स जिनका भुगतान किया गया तथा निरीक्षण दौरान पदस्थापित विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें ग्राम पंचायतवार मौके पर पाई गई लाईटस का विवरण इस प्रकार है।

क्र सं	ग्राम पंचायत का नाम	प्रशासनिक व वितीय स्वीकृति अनुसार सोलर लाईटो की संख्या	मौके पर पाई गई सोलर लाईटो की संख्या
1.	पलीना	15	0
2.	चैनपुरा	15	7
3.	धोलासर	15	0
4.	मोरिया	15	7
5.	नयाबेरा	15	5

6.	मूंजासर	15	7
7.	ढेलाणा	15	0
8.	शैतानसिह नगर	15	0
9.	आमला	15	0
10.	छीला	15	0
11.	जालोडा	15	0
12.	जागुंबानो की ढाणी	15	0
13.	लोहावट विश्नावास	15	1
14.	मूलराज	15	7
15.	हंसादेश	15	7
16.	लोहावट जाटावास	15	7
17.	रूपाणा जैताणा	15	7
18.	जम्भेश्वर नगर	15	9 (5 लगी हुई है 4 Uninstalled)
19.	दयाकौर	15	23 (16 लगी हुई है 7 Uninstalled)
20.	सदरी	15	0
21.	फतेहसागर	15	0
22.	पल्ली	15	0
23.	पल्ली प्रथम	15	0
24.	जैरिया	15	0
25.	नौसर	15	0
26.	वेन्दो का बैरा	15	0
27.	भीकमकोर	15	0
28.	इन्दो की ढाणी द्वितीय	15	7
29.	भियाडिया	15	0
30.	**कुल**	**435**	**94**

इस प्रकार मौके पर कुल 94 सोलर लाईटस का भौतिक सत्यापन जांच कमेटी द्वारा किया गया। जिसमें से 11 लाईटस संरपचों के घर पर बिना लगी (Uninstalled) पाई गई तथा 83 मौके पर लगी हुई पाई गई।

जांच कमेटी द्वारा उक्त प्रकरण में वितीय दस्तावेजो की जांच करने पर पाया गया कि जांच दिनांक तक राज्य वित आयोग–पंचम (पं सं मद से) 376 लाईटस का भुगतान बिल सं 27 दिनांक 04.07.2019 राशि 45,18,486/– व बिल सं 39 दिनांक 24.07.2019 राशि 45,18,486/– इस प्रकार 376 लाईटस का कुल भुगतान 90,36,972/– किया गया है। जबकि मौके पर 94 लाईटस ही लगी हुई है जिनका मूल्य 22,59,243/– ही होता है इस प्रकार 67,77,729/– का अधिक भुगतान हुआ है।

इस भुगतान से पूर्व कार्यालय पंचायत समिति लोहावट के पंत्राक 1215 दिनांक 04. 07.2019 द्वारा प्रबंधक (कॉनफेड) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर को सोलर लाईट का कार्य मौके पर पूर्ण कर दिया गया है एवं फर्म को भुगतान कर दिये जाने पर कार्यालय को कोई आपति नहीं है का पत्र जारी किया गया।

इसी कम में तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा पंत्राक 101 दि. 04.07.2019 द्वारा प्रबंधक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर को अवगत करवाया गया

कि सोलर लाईटस अभी तक स्थापित नहीं की गई है, उन्हे तुरन्त स्थापित करावे। इसी प्रकार पंत्राक 104 दिनांक 29.07.2019 द्वारा एक बार पुनः लाईटस स्थापित करने हेतु तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर को पत्र लिखा गया। जबकि पूर्व में स्वंय द्वारा लाईटस स्थापित कर दी गई है इस आश्य का पत्र लिखा गया।

उक्त शिकायत के प्रकरण (2) अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत क्रय के समय पदस्थापित विकास अधिकारी द्वारा 16 ग्राम पंचायतो में 2 बैटरी मय इन्वर्टर प्रति पंचायत 100 लाख रू. में मै. अरविन्द बिल्डर्स से आरटीपीपी रूल्स 2013 में निर्धारित प्रक्रिया, नियमों की पूर्ण पालना किये बिना क्रय की गई। मौके पर सभी पंचायतो में बैटरी मय इन्वर्टर स्थापित है। उक्त सामग्री उपलब्ध करवाने वाली फर्म के जीएसटी नं 08CEQPR4720E129 की जांच करने पर सयुक्त कमिश्नर, जीएसटी द्वारा पंत्राक 634 दि. 05.03.2020 के द्वारा फर्म कौन कौनसी सामग्री विक्रय करने हेतु रजिस्टर्ड है, उपलब्ध करवाया गया। जिसके तहत उक्त फर्म इन्वर्टर मय बैटरी उक्त फर्म सप्लाई नहीं कर सकती है। इस प्रकरण में अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेग, जोधपुर के पंत्राक 7227 दि. 07.02.2020 द्वारा विकास अधिकारी से वितीय अनियमितता के सबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

तत्पश्चात पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर में क्रय की गई सोलर लाईट तथा बैटरी/इन्वर्टर की जांच करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 10130 दि. 11.12.2020 के द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा विस्तृत जांच की गई, जो निम्नानुसार है:—

(1) उक्त प्रकरण में जांच कमेटी द्वारा दि. 06.01.2021 को पंचायत समिति लोहावट में क्रय की गई सोलर लाईट व बैटरी क्रय संबंधी पत्रावलियों की जांच की गई। पत्रावलियों में विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट के पत्र क्रमांक 3976 दि. 01.03.2019 के द्वारा पंचायत समिति लोहावट की 29 ग्राम पंचायतो में एक करोड चार लाख पचपन हजार रू. से 435 सोलर लाईट क्रय करने हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई । जबकि उक्त स्वीकृति हेतु विशेष साधारण सभा में अनुमोदन किये जाने के मिनट्स विकास अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये। इन सोलर लाईटों का क्रय आरटीपीपी रूल्स 2013 में निर्धारित प्रक्रिया, नियमों की पूर्ण पालना किये बिना राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से 22,890/— + 5 प्रतिशत जीएसटी प्रति लाईट की दर से किया गया है। विशेष साधारण सभा की कार्यवाही के समापन के पश्चात मात्र प्रधान के हस्ताक्षर है जबकि सचिव एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर नियमानुसार आवश्यक थे। नियमानुसार बैठक कार्यवाही नहीं करने के लिए प्रधान व विकास अधिकारी उतरदायी है।

(2) आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32 के अंतर्गत निविदा के बिना क्रय की विषयवस्तु एवं शर्तो अनुसार क्रम संख्या 40 पर अंकित आईटम यथा इलैक्ट्रोनिक्स, विधुत और सौर उपकरण और उनसे संबंधित परामर्श सेवाएं के लिये राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स और इन्सटूमेन्टस लिमिटेड (REIL) से उनके द्वारा विनिर्मित मदों के लिये ही अधिकृत किया गया है।

(3) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पंत्राक 3148 दि. 27.09.2018 द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर लाईट क्रय करने की अनुमति 14 शर्तो के तहत जारी की गई। जिसके तहत 31.03.2019 तक सोलर लाईट स्थापना की अनुमति दी गई थी, जबकि पंचायत समिति लोहावट में सभी लाईटें प्राप्त दस्तावेजों अनुसार दि. 28.06.2019 को प्रफोरमा

इनवाइस की प्रकिया की है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के पंत्राक 3148 दि. 27.09.2018 अनुसार दी गई शर्तो की पूर्ण अवहेलना है जिसमें विकास अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

(4) प्रारंभिक जांच के निरीक्षण दौरान पदस्थापित विकास अधिकारी द्वारा मौके पर लगी हुई सोलर लाईटस का विवरण अपने स्तर से उपलब्ध करवाया गया है। जो न तो फर्म द्वारा आपूर्ति की गई आदेश प्रति का हवाला दिया है और न ही कोई पंचायत समिति के भण्डार पंजिका में इन्द्राज का उल्लेख किया है। किसी भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के भण्डार में इन्द्राज किये हुए भण्डार पंजिका की सत्यापित हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्राप्ति एवं भण्डार इन्द्राज के अभाव में सोलर लाईटस का स्थापित होना नहीं पाया जाता है। जो विकास अधिकारी के पंत्राक 1215/04.07.19 व 101/25.07.19 तथा 104/29.09.19 द्वारा स्पष्ट होता है। जांच दल ने अपने पंत्राक स्पे. 02/06.01.21 द्वारा भण्डार पंजिका में इन्द्राज व इससे सम्बधित दस्तावेज मांगा लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे सम्पूर्ण आपूर्ति ही संदिग्ध पायी गयी है।

(5) उक्त प्रकरण में वितीय दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि निरीक्षण दिनांक तक राज्य वित आयोग–पंचम (पं.स. मद से) 376 लाईटस का भुगतान बिल सं 27 दि. 04.07.2019 राशि 45,18,486/– व बिल संख्या 37 दि. 24.07.2019 राशि 45,18,486/– इस प्रकार 376 लाईटस का कुल भुगतान 90,36,972/– किया गया है, जो अनियमित है तथा वसूली योग्य है।

(6) पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार एवं सामान्य वितीय लेखा नियम तथा RTPP Rule 2013 के अनुसार सामग्री क्रय करने की प्रकिया इस प्रकार है:– कार्य/सामग्री का प्रस्ताव साधारण सभा में अनुमोदन पश्चात मिनिटस जारी करना, अनुमानित लागत, उपलब्ध बजट (जिसमें कार्य अनुमत है) प्रशासनिक, तकनिकी तथा वितीय स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करना उसके पश्चात क्रय समिति का गठन (निर्धारित सदस्य) जिसमें तकनिकी अधिकारी एवं वितीय सम्बन्धी लेखाकर्मी/ अधिकारी सम्मिलित हो। क्रय समिति का गठन नहीं करने पर विकास अधिकारी पूर्ण जिम्मेदार है। इसके पश्चात कार्य का प्रचार प्रसार (वितीय स्वीकृति राशि अनुसार) जो आरटीपीपी एक्ट 2012 व 2013 में निहित है। आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32 के अन्तर्गत बिना निविदा क्रय की विषयवस्तु एवं शर्तो अनुसार भी क्रय किया जा सकता है। क्रयादेश जिसमें सामग्री आपूर्ति की मात्रा, अवधि एवं स्थान जहां आपूर्ति/स्थापित की जानी है। सामग्री की आपूर्ति होने पर भण्डार में इन्द्राज और तकनिकी अधिकारी का प्रमाण पत्र, कि सामग्री आपूर्ति आदेश के अनुरूप है या नहीं। उसके पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जाती है। उक्त प्रकरण में प्रफोरमा इनवाइस के आधार पर वर्णित शर्तो के तहत अग्रिम भुगतान किया गया है जो विभागीय निर्देशो की अवहेलना है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 111 के अन्तर्गत पंचायत राज संस्था के अध्यक्ष किसी भी धन या अन्य सम्पति की हानि, दुरूपयोजन या दुर्व्यय के लिए दायित्वाधीन के प्रावधान है। इस प्रकार तत्कालीन प्रधान ने पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 111 का उल्लंघन किया है। उक्त कृत्य के लिए तत्कालीन प्रधान, विकास अधिकारी व लेखाकार्मिक उत्तरदायी है।

(7) पत्रावली में कार्यालय टिप्पणी के अनुच्छेद संख्या 6 में विकास अधिकारी ने GEM पोर्टल पर दरें प्राप्त कर वितीय स्वीकृति की कार्यवाही के निर्देश लेखा शाखा को दिये गये। जबकि विभागीय निर्देशानुसार RTPP Rule की पालना एवं GEM की दरों को मध्यनजर रखते हुए क्रय किया जाना था इसमें विकास अधिकारी द्वारा निर्देशो की अवहेलना की है। इसी क्रम में अनुच्छेद सं. 11/N में प्रधान द्वारा नियमानुसार वितीय स्वीकृति जारी करने का

लिखा है, और लेखा शाखा द्वारा अनुच्छेद 12/N में ई निविदा जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया लेकिन विकास अधिकारी ने पैरा 13/N में RTPP Act 2012 एवं 2013 का पूर्ण पालना का उल्लेख करते हुए राजस्थान राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर से सोलर लाईट क्रय करने के लिए प्रस्तावित किया गया जो विकास अधिकारी ने जान बुझकर नियमों का उल्लघंन किया है, RTPP नियम में मात्र REIL से ही क्रय करना नियम 32 में अधिकृत है। प्रधान ने पैरा 14/N में पुनः एक बार लिखा कि सरकारी नियमानुसार सहकारी समितियों से क्रय करने की कार्यवाही करें जिन्हे विकास अधिकारी ने नजर अन्दाज कर उपभोक्ता संघ को कार्यादेश दिया है, जिसके लिए विकास अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

इस प्रकार प्रकरण में आरोपीगण श्री भागीरथराम बेनिवाल तत्कालीन प्रधान पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर, 02. श्री प्रहलादराम डुडी तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति . किशनगंज जिला बांरा, 03. श्री मदनलाल कुलदीप तत्कालीन लेखा सहायक पंचायत समिति लोहावट हाल पंचायत समिति भोपालगढ एवं 04. लाभार्थी फर्म ने आपसी मिलीभगत कर बिना सोलर लाईट लगाये ही फर्म को 90,36,972/–रूपये का अनिमियत रूप से भुगतान कर राजकोष को अनुचित आर्थिक हानि कारित करने का कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अनुसंधान हेतु सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर से धारा 17 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अतः आरोपी 01. श्री भागीरथराम बेनिवाल पुत्र श्री बिरमाराम विश्नोई निवासी ग्राम पंचायत नौसर तहसील लोहावट तत्कालीन प्रधान, पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर, 02 श्री प्रहलादराम पुत्र श्री पूनमाराम निवासी बेरीवाला तला रावतसर जिला बाड़मेर तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति .किशनगंज जिला बांरा, 03. श्री मदनलाल कुलदीप पुत्र श्री शंकरलाल कुलदीप निवासी नानण रोड़ अम्बेडकर कोलोनी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर तत्कालीन लेखा सहायक पंचायत समिति लोहावट हाल पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर हाल सहाय प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर 4. लाभार्थी फर्म के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी), 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं सपठित धारा 409, 420,467, 468, 193 व 120 बी भादस में पजिबद्व किया जाना उचित रहेगा। जिसकी बिना नम्बरी प्रथम सुचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश प्रदान करावे।

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी),13(1)(ए),13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 409, 420, 467, 468, 193, 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री भागीरथराम बेनिवाल, तत्कालीन प्रधान, पंचायत समिति लोहावट, जिला जोधपुर, 2. श्री प्रहलादराम, विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगंज, जिला बारां, 3. श्री मदनलाल कुलदीप, तत्कालीन लेखा सहायक, पंचायत समिति लोहावट, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति भोपालगढ़, जिला जोधुपर एवं 4. लाभार्थी फर्म के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 304/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 2664-70 दिनांक 03.08.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
7. अति. पुलिस अधीक्षक-परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि.एच.2134/21)।

3.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।